बजट में प्रदर्शित होने वाली व्यय की मानक मदें

मानक मद	विवरण
01– वेतन	इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन जैसा कि मूलनियम–9(21) में परिभाषित किया गया है और बोनस सम्मिलित होंगे ।
02– मजदूरी	इसमें आकस्मिक व्यय से संदत्त श्रमिकों और कर्मचारियों की मजदूरी / पारिश्रमिक सम्मिलित हैं ।
03– मंहगाई भत्ता	शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत/देय मंहगाई भत्ता की व्यवस्था सम्मिलित होगी ।
04– यात्रा व्यय	इसमें ड्यूटी पर यात्रा के फलस्वरूप सभी प्रकार के व्यय, किन्तु अवकाश यात्रा सुविधा, स्थानान्तरण यात्रा–व्यय तथा प्रशिक्षण हेतु यात्रा–व्यय न सम्मिलित हो, आते हैं ।
05– स्थानान्तरण यात्रा–व्यय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप यात्रा व्यय ।
06– अन्य भत्ते	इसमें सरकारी कर्मचारियों को देय मकान का किराया, नगर प्रतिकर भत्ता, वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता एवं नियत यात्रा भत्ता तथा विकलांग भत्ता आदि सम्मिलित हैं ।
07– मानदेय	मानदेय के रूप में दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था इस मद के अन्तर्गत सम्मिलित है ।
08– कार्यालय व्यय	इनके अन्तर्गत किसी कार्यालय को चलाने के लिये अपेक्षित आकस्मिक व्यय यथा डाक व्यय, सज्जा की खरीद और उनका अनुरक्षण सम्मिलित हैं ।
09– विद्युत देय	सरकारी कार्यालयों / कार्यात्मक भवनों / अतिथिगृहों आदि के विद्युत देयों के व्यय हेतु व्यवस्था सम्मिलित है ।
10– जलकर/जल प्रभार	सरकारी कार्यालयों / कार्यात्मक भवनों / अतिथि गृहों आदि के जलकर / जल प्रभार के भुगतान की व्यवस्था सम्मिलित है ।
11– लेखन–सामग्री और फार्मों की छपाई	कार्यालय में उपयोगार्थ फार्मों की छपाई और अन्य लेखन–सामग्री (कम्प्यूटर स्टेशनरी के अलावा) की व्यवस्था सम्मिलित है ।
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	इसके अन्तर्गत कार्यालय फर्नीचर के अतिरिक्त कार्यालय मशीन जैसे – फोटोकापियर, फैक्स आदि के व्यय सम्मिलित होंगे । इसमें कम्प्यूटर का क्रय सम्मिलित नहीं है ।
13– टेलीफोन पर व्यय	सरकारी कार्यालयों / सरकार की तरफ से आवासों में लगे टेलीफोन आदि पर व्यय । इसमें सेल्यूलर फोन पर अनुमोदित व्यय भी सम्मिलित होगा ।
14– स्टाफ कारों और अन्य मोटर गाड़ियों का क्रय	सरकारी कार्यालयों / कार्यात्मक भवनों / अतिथि गृहों आदि के प्रयोगार्थ तथा उपयोग की जाने वाली मोटर वाहनों के क्रय की व्यवस्था ।
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	सरकारी कार्यालयों / कार्यात्मक भवनों / अतिथि गृहों आदि के प्रयोगार्थ उपयोग की जाने वाली मोटर वाहनों के सम्बन्ध में पेट्रोल / डीजल तथा अनुरक्षण सम्बन्धी व्यय की व्यवस्था । शासकीय प्रयोजन के लिये अनुबन्ध आदि के आधार पर मोटर वाहनों की व्यवस्था पर अनुमोदित व्यय भी इस मद के अन्तर्गत सम्मिलित होगा ।
16– व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	इसमें विधिक / विशेषज्ञ सेवा का व्यय, परामर्शदात्री सेवा की फीस, परीक्षाओं के संचालन के लिये परीक्षकों और कक्ष निरीक्षकों आदि को देय पारिश्रमिक सम्मिलित है ।

मानक मद	विवरण
17— किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	इसमें किराये पर लिये गये भवनों के किराये, उपशुल्क और कर आदि पर व्यय सम्मिलित है । इसमें भूमि के पट्टे पर व्यय भी सम्मिलित है ।
18— प्रकाशन	इसमें कार्यालय संहिता और नियम संग्रह तथा अन्य मूल्य सहित और बिना मूल्य लेख्यों के मुद्रण पर होने वाला व्यय सम्मिलित है किन्तु इसमें विख्यापन सामग्री का मुद्रण सम्बन्धी व्यय सम्मिलित नहीं है । इसमें अभिकर्ताओं को देय बिक्री पर छूट भी सम्मिलित होगी ।
19— विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	इसके अन्तर्गत अभिकर्ताओं का कमीशन और विज्ञापन सामग्री की छपाई से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होगा ।
20— सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	मानक मद संख्या 43 तथा 48 में परिभाषित सहायक अनुदान की धनराशियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता, जिसमें समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन भी सम्मिलित हैं ।
21— छात्रवृत्तियाँ और छात्र—वेतन	विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति / छात्र—वेतन की व्यवस्था ।
22— आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि	इसके अन्तर्गत अनुमन्य आतिथ्य व्यय / मनोरंजन भत्ते सम्मिलित होंगे । अन्तर्विभागीय बैठकों, कान्फ्रेन्सों आदि में दिये जाने वाले, जलपान को "कार्यालय व्यय" के अन्तर्गत अभिलिखित किया जायेगा ।
23— गुप्त सेवा व्यय	गुप्त सेवा सम्बन्धी व्यय ।
24— वृहत् निर्माण कार्य	जैसा कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—VI के पैरा—314 में परिभाषित किया गया है । इसमें भूमि अधिग्रहण और संरचनाओं से सम्बन्धित लागत भी सम्मिलित होगी ।
25— लघु निर्माण कार्य	जैसा कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—VI के पैरा—314 में परिभाषित किया गया है ।
26— मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	इसमें किसी कार्यालय के संचालन के निमित्त अपेक्षित मशीन, सज्जा, साधित्र (एपरेटस) आदि से भिन्न मशीनें, सज्जायें और साधित्र आदि तथा विशिष्ट निर्माण कार्य के लिये अपेक्षित विशेष उपकरण और संयंत्र सम्मिलित है ।
27— सब्सिडी	इसमें आर्थिक सेवाओं के अधीन दी जाने वाली सहायता के अंश को अभिलिखित किया जायेगा ।
28— मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	यह मानक—मद समाप्त कर दिया गया है ।
29— अनुरक्षण	इसके अन्तर्गत निर्माण कार्य, मशीनें और सज्जा (जो मद 24, 25 और 26 के अन्तर्गत आते हैं) के अनुरक्षण व्यय को अभिलिखित किया जाता है । इसमें अनुरक्षण संबंधित मरम्मत भी सम्मिलित है ।
30— निवेश / ऋण	सार्वजनिक संस्थाओं / निगमों आदि में अंशपूंजी विनियोजन अथवा ऋण दिये जाने की व्यवस्था ।
31— सामग्री और सम्पूर्ति	इस मद के अन्तर्गत खाद्यान्न, बीज, खाद, राजकीय मुद्रणालयों के लिए कागज एवं अन्य मुद्रण सामग्री, खनिज अन्वेषण से सम्बन्धी सामग्री, पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री आदि का क्रय सम्मिलित होगा
32— ब्याज / लाभांश	इसके अन्तर्गत पूंजी / ऋण पर ब्याज सम्मिलित होगा ।
33— पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	पेंशन / आनुतोषिक तथा तत्सम्बन्धी भुगतान एवं सेवानिवृत्ति / मृत्यु के समय अवकाश नकदीकरण तथा अंशदायी भविष्य निधियों / पेंशन निधियों को अंशदान सम्मिलित है, लेकिन समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन सम्मिलित नहीं है ।

मानक मद	विवरण
34– अवमूल्यन	मूल्य ह्रास के सम्बन्ध में व्यवस्था ।
35– अन्तर्लेखा संक्रमण	समेकित निधि से लोक लेखे में व्यवस्थित निधियों तथा कतिपय विशिष्ट मामलों में लोक लेखे से समेकित निधि में संक्रमित / स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि की व्यवस्था । निर्माण एवं अनुरक्षण सम्बन्धी "अधिष्ठान व्यय" और "मशीनरी तथा उपस्कर व्यय" को प्रतिशतता के आधार पर एक लेखाशीर्ष से दूसरे लेखाशीर्ष में संक्रमित करने तथा राज्य व्यापार योजनाओं (स्टेट ट्रेडिंग स्कीम्स) से सम्बन्धित राजस्व व्यय की धनराशि को पूंजीकृत करने के लिए भी इस मानक मद का उपयोग किया जा सकता है ।
36– बट्टा खाता / हानियाँ	इसके अन्तर्गत वसूल न होने वाले बट्टे खाते डाले गये ऋण आते हैं । हानियों में व्यापार सम्बन्धी हानियाँ सम्मिलित होंगी ।
37– उचन्त	उचन्त से सम्बन्धित व्यय वर्गीकृत होगा ।
38– अन्तरिम सहायता	शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्तरिम सहायता की व्यवस्था ।
39– औषधि तथा रसायन	चिकित्सालयों आदि के लिए औषधि तथा रसायन के क्रय के लिए व्यवस्था जिसमें रूई, पट्टी आदि भी सम्मिलित हैं ।
40– औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	चिकित्सालयों आदि में सफाई एवं साज–सज्जा हेतु व्यवस्था ।
41– भोजन व्यय	विभिन्न विभागों में शासन की ओर से की जाने वाली भोजन व्यवस्था से सम्बन्धी व्यय ।
42– अन्य व्यय	यह अवशिष्ट मद है जिसमें पारितोषिक और पुरस्कार सम्बन्धी व्यय तथा विवेकाधीन कोष से व्यय भी सम्मिलित है ।
43– वेतन–भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान	इसमें मूल वेतन, समय–समय पर जारी शासनादेशों द्वारा अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते पर व्यय सम्मिलित होगा । शासन के आदेशों के अन्तर्गत संविदा पर रखे गये कार्मिकों का पारिश्रमिक आदि भी इस मद के अन्तर्गत वर्गीकृत होगा ।
44– प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	इसमें समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत होने वाले प्रशिक्षण से सम्बन्धित यात्रा व्यय, शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय सम्मिलित होंगे ।
45– अवकाश यात्रा व्यय	इसके अन्तर्गत अवकाश यात्रा से सम्बन्धित व्यय वर्गीकृत होगा ।
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय	इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर से संबंधित हार्डवेयर / साफ्टवेयर से सम्बन्धित व्यय वर्गीकृत होगा ।
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर से सम्बन्धित अनुरक्षण एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी, प्रिन्टर रिबन / कार्टेज आदि पर होने वाला व्यय सम्मिलित होगा ।
48– पूँजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान	अनुदान के रूप में दी गयी धनराशि से यदि पूंजीगत कार्यों पर व्यय किया जाना है, तो इस प्रकार का व्यय इस मानक मद के अन्तर्गत वर्गीकृत होगा ।
49– चिकित्सा व्यय	इसके अन्तर्गत चिकित्सा सम्बन्धी व्यय वर्गीकृत होगा ।
50– मंहगाई वेतन	मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य मंहगाई भत्ता का अंश कतिपय निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए मंहगाई वेतन माना जायेगा ।
51– वर्दी व्यय	इसके अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों को वर्दी पर अनुमन्य व्यय वर्गीकृत किया जायेगा ।